तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 92/2024 जीरीएमएरा : 2024/207 गुरदीप सिंह आदि बनाम सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
02.07.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण की जाति दुरूस्त कर राजपूत के स्थान पर रायसिख दर्ज करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण के पिता प्यारा सिंह पुत्र निहाल सिंह जाति राय सिख निवासी धनूर तहसील श्रीकरणपुर के नाम से चक 3 जीएम खाता सं. 36 में मु.नं. 27, 40 व 39 की कुल 5.464है. कमाण्ड मय खाला कृषि भूमि आवंटित हुई थी। उनकी मृत्यु पश्चात प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में विरासतन इन्तकाल दर्ज हो गया। जिस पर प्रार्थीगण ही मालिक व काबिज है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगण की जाति रायसिख की जगह राजपूत संहबन से अंकित हो गयी है। आवंटन आदेश व आवेदन में जाति रायसिख अंकित है। जो दुरूस्त करते हुए राय सिख अंकन करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार श्रीविजयनगर से रिपोर्ट तलब की गयी। मुताबिक रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./2025/688 दिनांक 20.02.2025 एवं भू.अ./2160 दिनांक 16.06.2025 के अनुसार चक 3 जीएम प.नं. 205/17, 205/18 व 205/26 की कुल 5.464है. कमाण्ड मय खाला रकबा ढरो बाई पत्नी प्यारा सिंह, गुरदीप सिंह, गुरमीत सिंह, बलजीत सिंह, मंगल सिंह, सरजीत कौर पि. प्यारा सिंह जाति राजपूत सा. धनूर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक पूछताछ व जांच के खातेदार की जाति रायसिख है। उक्त रकबा मुताबिक पर्चाखतौनी चक 3 जीएम के प्यारासिंह पुत्र निहाल सिंह जाति राजपूत सा. पुख्ता आवंटन दर्ज रिकार्ड है। आवंटी/आवंटी के वारिसान की जाति राजपूत अनवरत पर्चाखतौनी से लेकर आज दिनांक तक दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रमाणित प्रतिलिपि आवंटन पत्रावली संबंधित दस्तावेज पेश किये गये है जिसके अनुसार आवंटन हेतु आवेदन एवं शपथ पत्र में प्यारा सिंह की जाति रायसिख दर्ज की गयी है। आवंटन आदेश आदेश दिनांक 19.06.1976 में जाति राजपूत दर्ज कर दी गई थी जिसे दिनांक 17.03.1978 को दायरा कर प्रतिहस्ताक्षर करते हुए रायसिख दुरूस्त किया गया है। ऐसी स्थिति में चूंकि मूल आवंटन आदेश में जाति की दुरूस्ती की जा चुकी है, राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जानी उचित है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और तहसीलदार श्रीविजयनगर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चक 3 जीएम खाता सं. 36 में दर्ज मु.न. 27, 40 व 39 की कुल 5.464है. कमाण्ड मय खाला भूमि के काश्तकारों गुरदीप सिंह, गुरमीत सिंह, [illegible] सिंह, मंगल सिंह, सरजीत कौर की जाति दुरूस्त [illegible] जाति राजपूत के स्थान पर रायसिख का अंकन किया जावे। शेष [illegible] यथावत रहेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीविजयनगर [illegible] पालनार्थ प्रेषित की जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Shakuntala Date: 2025.08.20 11:48:41 IST Reason: SelfAttested शकुन्तला R.A.S. उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर	

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर